A7

...य न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

...ठासीन अधिकारी— श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
36 / प्रा.पत्र / 2021	07.07.2021	17.11.2021

श्री गिरिराज शर्मा, तात्कालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बून्दी हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी बांरा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांरा। —**प्रार्थी**

—**बनाम**—

श्री हरीश कुमार पुत्र श्री भीमनदास, विक्रेता एवं मालिक मैसर्स भीमनदास हरीश कुमार, सब्जी मण्डी के पीछे, बून्दी। निवासी सिन्धी कॉलोनी, बून्दी। —**अप्रार्थी**

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम एवं विनियम 2011

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से—श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्थान पर श्री सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

—: निर्णय :—

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना—पत्र में निम्नांकित बिन्दु अंकित किये हैः—

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.07.2011 एवं कमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच/ पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना कमांक एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 496 दिनांक 18.08.2011 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2020 को समय 03:00 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु सब्जी मण्डी के पीछे, बून्दी, स्थित फर्म मैसर्स भीमनदास हरीश कुमार पर पहुंचा। वहां पर श्री हरीश कुमार पुत्र श्री भीमनदास, विकेता एवं फर्म के मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स / रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।
3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु फर्म पर स्टील की टंकी में लगभग 13 कि0ग्रा0 रिफाईण्ड सोयाबीन तेल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

खुला) उपलब्ध था। रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (खुला) में मिलावट का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, स्टील की टंकी में से स्टील के चमचे से लेकर, हिलामिलाकर, एकरूप कर तुलवाकर, एक साफ, सुखी व स्वच्छ स्टील भगोनी में 1600 ग्राम रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (खुला) वास्ते जांच खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 160/– नगद देकर रसीद प्राप्त की।

4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (खुला) को एकरूप कर, चार कांच की साफ, सुखी व स्वच्छ प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर–बराबर भरा तथा प्रत्येक शीशी को एयरटाइट ढक्कन लगाकर एयरटाइट किया तथा निर्धारित लेबल प्रत्येक शीशी पर चिपकाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं कमांक यू–1540 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू–1540 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।

5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मो0 फारूख सहायक कर्मचारी द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मो0 फारूख द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र कमांक एफएसएसए/2020/202 दिनांक 18.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 284/पी0एच0एल0/कोटा/एक्ट/2020/388 दिनांक 02.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (खुला) की जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने पर सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया हैं। फुड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड रेगुलेशन नं. 2.3.15(बी) (प्रोहिबिशन एण्ड रिस्ट्रीक्शन ऑन सेल्स) 2011 का उल्लंघन होना पाया है। रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (खुला) का विक्रय फुड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड रेगुलेशन नं. 2.3.15(बी) (प्रोहिबिशन एण्ड रिस्ट्रीक्शन ऑन सेल्स) 2011 का उल्लंघन हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र कमांक एफएसएसए/2021/67 दिनांक 08.06.2021 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (खुला) का विक्रय कर कमशः धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करना चाहा तथा प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थी समाअत की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गिरिराज शर्मा के स्थान पर श्री सत्यनारायण गुर्जर न्यायालय में उपस्थित जिन्होंने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान पर सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (खुला) का विक्रय कर फुड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड रेगुलेशन नं. 2.3.15(बी) (प्रोहिबिशन एण्ड रिस्ट्रीक्शन ऑन सेल्स) 2011 का उल्लंघन कर विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में निर्धारित हैं। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावें।

अप्रार्थी ने दोराने बहस में व्यक्त किया कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (खुला) में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई हैं। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जान माल की हानि हो। सहानुभूति का रूख अपनाते हुए लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निर्णय पारित करने की कृपा करें।

हमने पत्रावली व उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस प्रार्थी व अप्रार्थी पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार हैं। रिफाईण्ड सोयाबीन तेल का खुला विक्रय कर फुड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड रेगुलेशन नं. 2.3.15(बी) (प्रोहिबिशन एण्ड रिस्ट्रीक्शन ऑन सेल्स) 2011 का उल्लंघन कर विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में निर्धारित हैं। अतः अप्रार्थी का कृत्य दोषसिद्ध होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी को 5,000/- (अक्षरे–पांच हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता हैं। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अब्दुल ... खान, RAS)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णायक अधिकारी
बून्दी (राज॰)